BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

भारत की विधिक सहायता एवं जागरूकता पहल

9 नवंबर, 2025

मुख्य बातें

- **9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना हुई।
- भारत की कानूनी सहायता प्रणाली 44.22 लाख लोगों (2022-25) तक पहुंच चुकी है और लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ मामलों का समाधान किया गया है।
- 2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया गया।
- लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फरवरी, 2025 तक) को दिशा योजना के माध्यम से मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क सेवाएं और कानूनी प्रतिनिधित्व एवं जागरूकता प्रदान की गई।

परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।[1] भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है। फिर भी, कई लोग अशिक्षा, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं, अपराध या आर्थिक तंगी व अन्य बाधाओं के कारण कानूनी सेवाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। चूंकि यह अधिनियम **9 नवंबर, 1995** को लागू हुआ था, इसलिए इसके कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।[2]

[1] https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151892&ModuleId=3
[2] https://doj.gov.in/access-to-justice-for-the-marginalised/

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के क्रम में, इस दिन, देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।[3]

विधिक सेवा प्राधिकरणों के अलावा, फास्ट-ट्रैक और अन्य विशेष अदालतें अदालती मामलों में तेजी लाने में मदद करती हैं, वहीं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण पहल और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय को अधिक सुलभ और सस्ता बनाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 [4] ने यह सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विधिक सहायता संगठनों की स्थापना की कि आर्थिक या अन्य बाधाओं से जूझ रहे किसी भी नागरिक को न्याय पाने के समान अवसर से वंचित न किया जाए।

इस अधिनियम ने निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की:

[3] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797658
[4] https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/20250408179662 7129.pdf

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

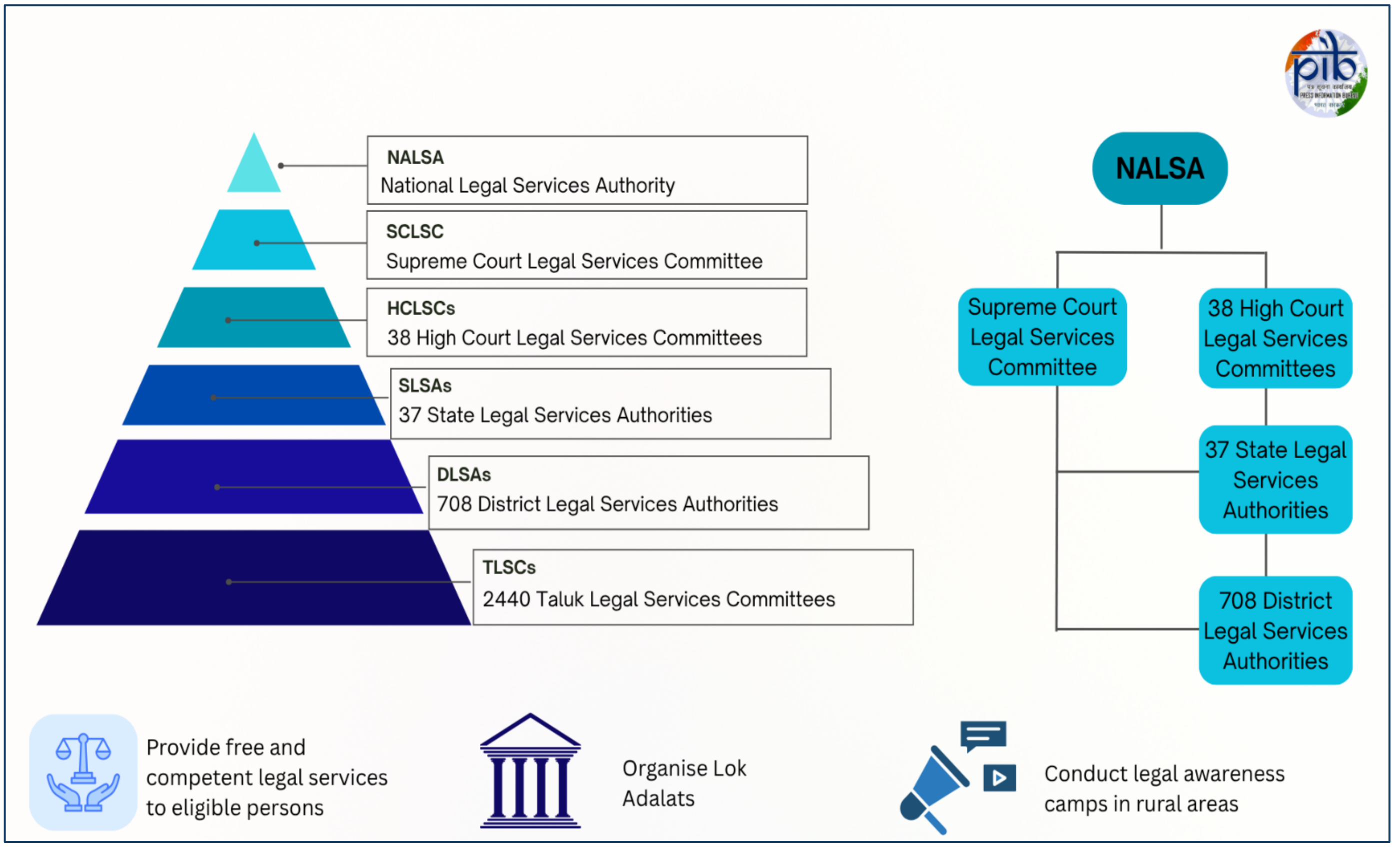

कानूनी सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित की जाती है और तीन-स्तरीय वित्त पोषण संरचना के माध्यम से अनुदान दिया जाता है:[5]

- **राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष** के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को केंद्रीय वित्त पोषण या दान
- राज्य कानूनी सहायता कोष के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को केंद्र या राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य योगदान
- जिला कानूनी सहायता कोष के माध्यम से जिला प्राधिकरण को राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य दान

[5] https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/202504081796627129.pdf

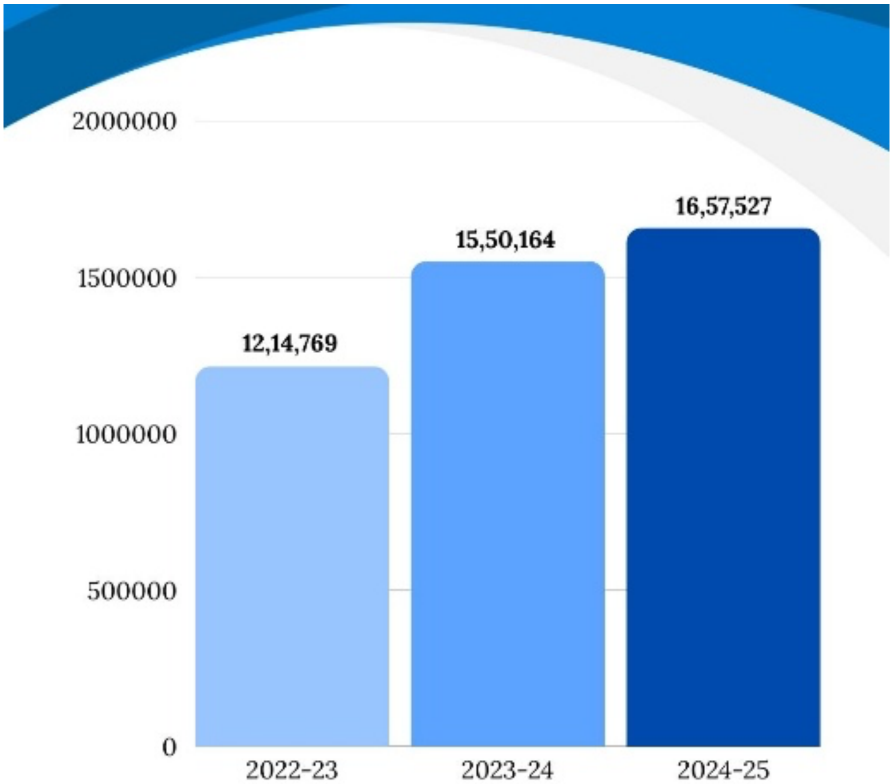

No. of beneficiaries of legal aid and advice

पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दी गई कानूनी सहायता और सलाह से 44.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।[6] [7]

[6] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770
[7] https://www.un.org/en/peace-and-security/understanding-human-trafficking

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

कोई भी व्यक्ति जिसे निःशुल्क कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है और जो इसके लिए पात्र है, संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में आवेदन कर सकता है।[8]

- आवेदन लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र भरकर या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है (ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी या अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक अनुरोध दर्ज करने में मदद करेगा)।
- नालसा या राज्य/ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कानूनी सहायता आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

यदि नालसा को सीधे आवेदन प्राप्त होता है, तो वह उसे उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। संबंधित विधिक सेवा संस्थान में आवेदन पहुंचने के बाद, अगले चरणों पर निर्णय लेने के लिए उसकी समीक्षा की जाती है। मामले के आधार पर, सहायता में कानूनी सलाह, परामर्श, या अदालत में आवेदक का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील की नियुक्ति शामिल हो सकती है।
यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है:

- आवेदक को नियुक्त वकील के बारे में सूचित किया जाता है और दोनों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है।
- इसके बाद वकील आवेदक से संपर्क करेगा, या आवेदक भी वकील से संपर्क कर सकता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 7(2) के अनुसार, आवेदन पर निर्णय तुरंत और प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
आवेदन की स्थिति की सूचना:

1. **फिजिकल आवेदन:** आवेदक के डाक या ईमेल पते पर अपडेट भेजे जाते हैं।
2. **ऑनलाइन आवेदन:** एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है और आवेदक संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थिति देख सकता है।
3. **सरकारी विभागों/केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से आवेदन:** आवेदकों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है और वे सीपीजीआरएएमएस और विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइटों पर स्कैन की गई प्रति और टिप्पणियां देख सकते हैं।

[8] https://nalsa.gov.in/legal-aid/

लोक अदालत

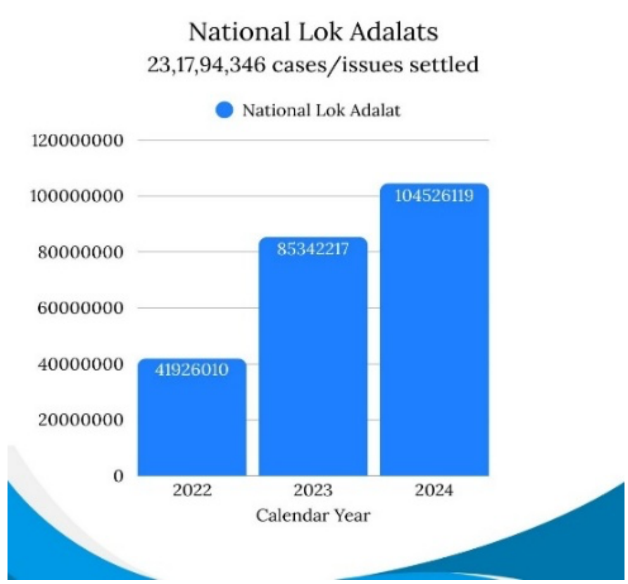

इस अधिनियम ने लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की, जो उपरोक्त विधिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित वैकल्पिक विवाद निवारण मंच हैं। ये मंच लंबित विवादों या मामलों या मुकदमे-पूर्व चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करते हैं।[9] 2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।[10]

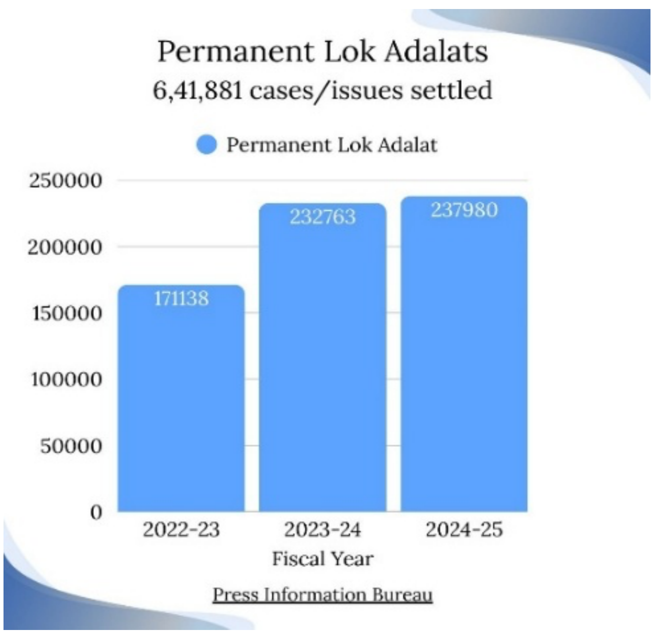

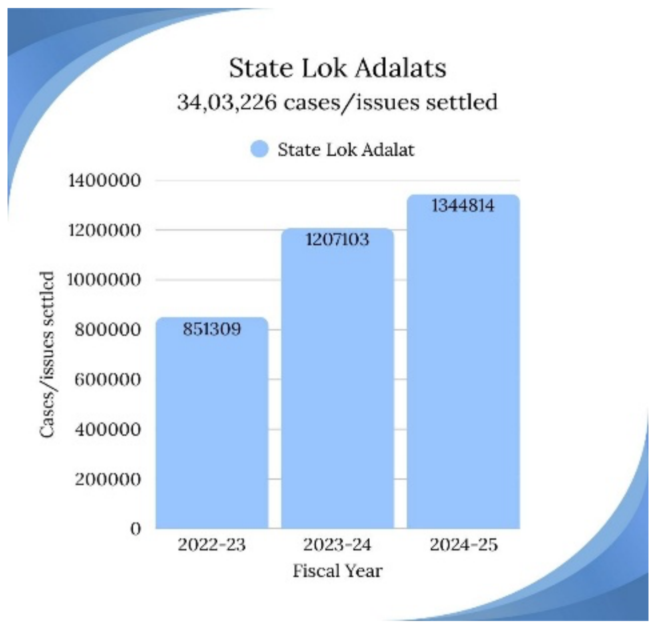

कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना

एनएएलएसए द्वारा शुरू की गई एलएडीसीएस योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी बचाव प्रदान करती है।

[9] https://nalsa.gov.in/lok-adalats/
[10] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770

- 30 सितंबर, 2025 तक, 668 जिलों में एक कार्यशील एलएडीसीएस कार्यालय है।
- 2023-24 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) तक एलएडीसी द्वारा सौंपे गए 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए एलएडीसी योजना का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये है।[11]

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना

आधुनिक तकनीक लोगों को न्याय व्यवस्था तक आसानी से और किफायती पहुंच बनाने में भी मदद कर रही है। 2021-2026 तक लागू की गई दिशा योजना के माध्यम से लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फ़रवरी, 2025 तक) को मुक़दमेबाज़ी से पहले सलाह, निःशुल्क सेवाएं, और क़ानूनी प्रतिनिधित्व व जागरूकता प्रदान की गई। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।[12] [13] [14]

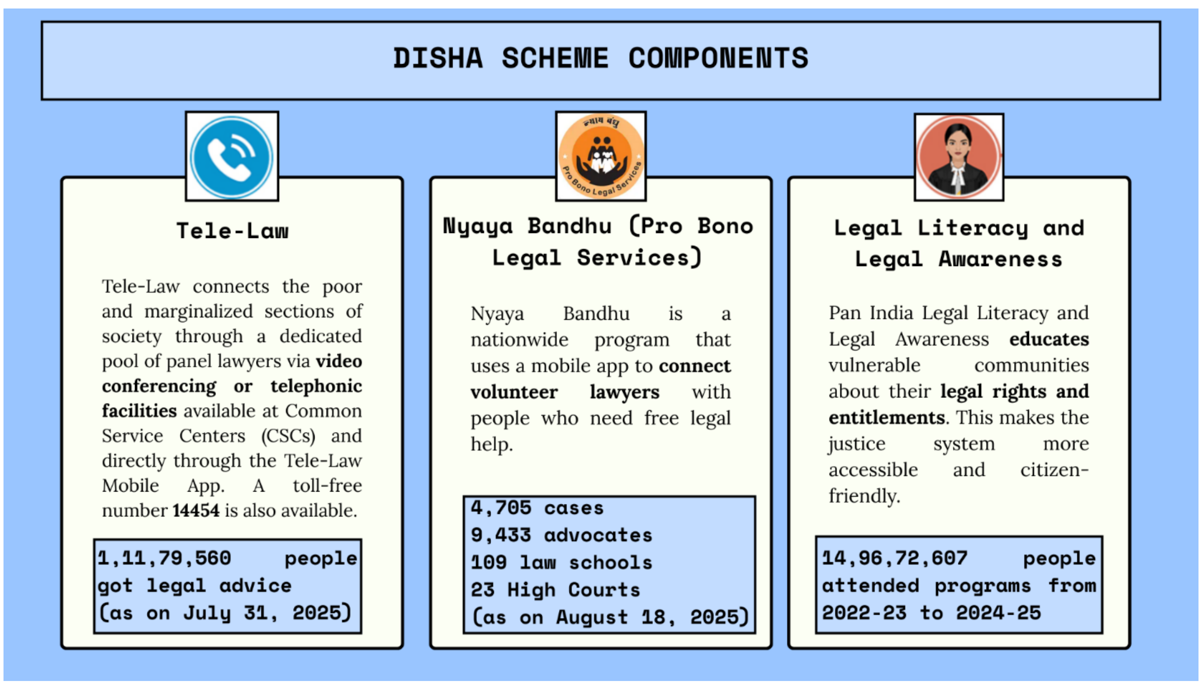

टेली-लॉ कॉल्स का प्रतिशतवार विवरण

30 जून, 2025 तक:

---

[11] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770
[12] https://www.tele-law.in/
[13] https://www.probono-doj.in/home/index
[14] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770

	Cases Registered	% wise Break Up	Advice Enabled	% wise Break Up
Gender-wise				
Female	44,81,170	39.58%	44,21,450	39.55%
Male	68,39,728	60.42%	67,58,085	60.45%
Caste Category-wise				
General	26,89,371	23.76%	26,48,100	23.69%
OBC	35,64,430	31.49%	35,16,236	31.45%
SC	35,27,303	31.16%	34,90,737	31.22%
ST	15,39,794	13.60%	15,24,462	13.64%
Total	1,13,20,898		1,11,79,535	

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

बहुत से लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। नालसा बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित कानूनों पर विभिन्न कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

अधिकारी सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने इनमें भाग लिया।[15]

Year	Legal Awareness Programmes Organised	Persons Attended
2022-23	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
Total	13,83,349	14,96,72,607

न्याय विभाग[16], दिशा के अंतर्गत कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) चलाता है। सिक्किम राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) जैसी विभिन्न

[15] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147765
[16] https://doj.gov.in/legal-literacy-and-legal-awareness-programmeme-lllp/

क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियाँ इस कार्यक्रम का संचालन करती हैं।[17] इस कार्यक्रम के माध्यम से, विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं और बोलियों में संचार सामग्री विकसित की है।[18]

दूरदर्शन ने भी मंत्रालय के साथ सहयोग किया और छह भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनकी पहुंच 70.70 लाख से ज्यादा लोगों तक हुई। 2021 से 2025 तक सरकारी सोशल मीडिया चैनलों पर सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर 21 वेबिनार प्रसारित किए गए। कुल मिलाकर, एलएलएलएपी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा।.[19]

फास्ट ट्रैक और अन्य न्यायालय

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पांच साल से ज्यादा समय से लंबित संपत्ति मामलों से संबंधित जघन्य अपराधों और दीवानी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) स्थापित किए गए थे-जहां 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के दौरान 1,800 एफटीसी की सिफारिश की थी, वहीं 30 जून, 2025 तक 865 एफटीसी कार्यरत हैं।[20]

अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना ने गंभीर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना की, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के तहत पीड़ित भी शामिल हैं; 30 जून 2025 तक, 392 विशेष POCSO अदालतों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक हैं और स्थापना के बाद से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है।[21]

2019-20 में 767.25 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 474 करोड़ रुपये) [22] के प्रारंभिक आवंटन के साथ शुरू हुई यह योजना दो बार बढ़ाई जा चुकी है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक है, जिसमें 1,952.23 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 1,207.24 करोड़ रुपये) का परिव्यय है।

अन्य न्यायालय

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर की अदालतें हैं। मार्च 2025 तक, 488 ग्राम न्यायालय हैं, जो ग्रामीणों को समय पर, किफायती और कुशल न्याय तक पहुँच प्रदान करते हैं। ये जमीनी स्तर की अदालतें विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती हैं।

[17] https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2147768
[18] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147765
[19] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147768
[20] https://doj.gov.in/fast-track-courts/
[21] https://doj.gov.in/fast-track-special-court-ftscs/
[22] https://doj.gov.in/fast-track-special-court-ftscs/

नारी अदालतें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मज़बूत करना है। इन अदालतों का उद्देश्य घरेलू हिंसा और अन्य लिंग-आधारित हिंसा से संबंधित मुद्दों को आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से सुलझाना है।
इन अदालतों का नेतृत्व 7-9 महिलाएं करती हैं और ये महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें कानूनी सहायता और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का काम करती हैं।

- नारी अदालत असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है।
- इसका पायलट परीक्षण किया जा रहा है:

    - 16 राज्यों अर्थात् गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 10-10 ग्राम पंचायतें; और
    - 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5-5 ग्राम पंचायतें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए 211 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी न्यायाधीशों और विधिक सहायता अधिकारियों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे उन्हें नवीनतम कानूनी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कमजोर समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ प्राप्त होती है।
एनएएलएसए विभिन्न पृष्ठभूमियों के स्वयंसेवकों को कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवक योजना चलाती है, जिन्हें लोगों और विधिक सेवा संस्थानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विधिक प्राधिकारी इन स्वयंसेवकों को न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण, आपराधिक कानून की मूल बातें, श्रम कानून, किशोरों के लिए कानून और महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए कानूनों का प्रशिक्षण देते हैं।
हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सेवा करने वाले कानूनी सहायता कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए, एनएएलएसए ने विशेष रूप से कानूनी सेवा वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों

(पीएलवी) के लिए 4 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं, और देश भर में कानूनी सेवा संस्थान समय-समय पर पैनल वकीलों और पीएलवी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं - 2023-24 से मई 2024 तक, राज्य कानूनी अधिकारियों ने पूरे भारत में 2,315 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कानूनी सहायता उन लोगों को प्रभावी ढंग से प्रदान की जाती है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च नहीं उठा सकते हैं।.[23] [24]

निष्कर्ष

भारत की न्याय व्यवस्था सभी के लिए न्याय सुलभ बनाने का प्रयास करती है। न्याय की बाधाओं को दूर करना भारतीय संविधान में निहित है।

लोक अदालतों, फास्ट-ट्रैक अदालतों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित निःशुल्क कानूनी सहायता का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विवादों का त्वरित और आसान समाधान संभव बनाता है। कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता पर आधारित आउटरीच कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीयों तक पहुंच चुके हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग भी बिना किसी बाधा के न्याय के अपने मौलिक अधिकार तक पहुंच सकें।

संदर्भ

Press Information Bureau:

- India Votes: Capturing the Spirit of the World's Largest Democracy: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151892&ModuleId=3
- Legal awareness camps and programmes: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770
- State/UT-wise details of Number of Persons benefited through free Legal Services provided by the Legal Services Institutions during the last three financial years i.e. 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the current financial year 2024-25 (up to May 2024): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037349

[23] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037348
[24] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037348

- During last three years from 2022-23 to 2024-25 (up to December 2024), 39.44 lakhs persons have been provided with free legal services: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118238
- Dissemination of legal education: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147765
- Effectiveness of free legal aid services: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2147768
- India's Commitment to Women's Safety: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116557
- As on October 2024, 313 Gram Nyayalayas are functioning across the country which have disposed of more than 2.99 lakh cases during December 2024: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2078998
- "Hamara Samvidhan Hamara Swabhiman" in Prayagraj: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094983
- Government of India has taken various steps to popularize the understanding of the Constitution: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040663
- NALSA prepares an extensive “Module for Training of Para-legal Volunteers” covering all aspects necessary for training to them: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037348
- The Supreme Court is collaborating with the High Courts in translation of e-SCR Judgements in 18 vernacular languages: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118241
- National Legal Service Day: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797658

Others:

- THE LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/202504081796627129.pdf
- Lok Adalats: https://nalsa.gov.in/lok-adalats/
- Legal Literacy and Legal Awareness Programmeme (LLLP): https://doj.gov.in/legal-literacy-and-legal-awareness-programmeme-lllp/
- Fast Track Courts (FTCs): https://doj.gov.in/fast-track-courts/
- Fast Track Special Courts (FTSCs): https://doj.gov.in/fast-track-special-court-ftscs/
- Tele-Law: https://www.tele-law.in/
- Nyaya Bandhu: https://www.probono-doj.in/home/index
- National Legal Services Authority (NALSA): https://doj.gov.in/access-to-justice-for-the-marginalised/
- Mission Shakti: https://missionshakti.wcd.gov.in/about
- Digital Sansad: https://sansad.in/phistory

पीके/केसी/एमपी